बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

2784
12/9/13

संकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18–07–2007 की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार श्रम संसाधन विभाग में संविदा पर नियुक्त होने वाले अंग्रेजी अनुदेशकों को भुगतेय समेकित मानदेय (Consolidated Amount) की स्वीकृति का मामला विचाराधीन था। ये पद स्वीकृत्यादेश संख्या–1457 दिनांक–03–07–2009 द्वारा संविदा (अनुबंध)/आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन हेतु स्वीकृत किये गये थे। फलतः इन पदों का सृजन ही अस्थाई प्रकृति का है। इन अनुदेशकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक अंग्रेजी(ऑनर्स) निर्धारित है एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों को अधिमानता देने का प्रावधान है ।

2–इन संविदा आधारित पदों के लिए मानदेय निर्धारण के क्रम में शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा उच्च विद्यालयों में संविदा के आधार पर जिला परिषदों एवं नगर निकायों द्वारा नियोजित स्नातक योग्यताधारी प्रशिक्षित शिक्षकों के समेकित मानदेय (Consolidated Amount)11,000/–(ग्यारह हजार रुपये)प्रतिमाह एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों का संशोधित समेकित मानदेय रुपया 10,500/–(रुपये दस हजार पॉच सौ) प्रतिमाह रहने के परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया गया क्योंकि ये समरूप पद हैं।

3– सम्यक विचारोपरांत इन संविदा(अनुबंध) आधारित अंग्रेजी अनुदेशकों के पदों पर नियोजन के लिए समेकित मानदेय (Consolidated Amount)11,000/–(ग्यारह हजार रुपये) प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
12.9.13
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी1/स्था0(2)नि0–73/2009– 2784 पटना, दिनांक– 12/9/13

प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7, बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

12.9.13
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी1/स्था0(2)नि0–73/2009– 2784 पटना, दिनांक– 12/9/13

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान एवं निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12.9.13
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।